न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/139/2023	2023/570	06.11.2023	11.03.2026

1. रमेश चन्द पुत्र स्व0 श्री पांच्याराम, निवासी ग्राम खिरतका बास तहसील टहला, जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र श्री राधेश्याम,
2. सियाराम पुत्र श्री राधेश्याम, जातियान मीना, निवासीयान ग्राम खिरतका बास तहसील टहला, जिला अलवर राज0।
3. तहसीलदार टहला, जिला अलवर राज0।

——असल रेस्पोडेण्ट्स

4. नहना देवी पत्नी स्व0 पांच्याराम,
5. रज्जो देवी पुत्री स्व0 श्री पांच्याराम, जातियान मीना, निवासीयान ग्राम खिरतका बास तहसील टहला, जिला अलवर राज0।

——तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध तहसीलदार टहला जिसके द्वारा इंतकाल संख्या 173 दिनांक 18.08.2023 स्वीकृत किया गया।

उपस्थितः—

01.श्री जगदीश शर्मा —वकील अपीलाण्ट

02.श्री शिवलहरी गुप्ता —वकील रेस्पोडेंट्स

—:: निर्णय ::—

प्रस्तुत अपील, अपीलांट द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार टहला, जिला अलवर राज0 द्वारा पारित आदेश/स्वीकृत इंतकाल संख्या 173 दिनांक 18.08.2023 से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आलोच्य आज्ञा इंतकाल दिनांक 18.08.2023 का है, जो अपीलांट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान, जिनका इंतकाल अंतर्गत आराजी मुतनाजा पर मौके पर कब्जा चला आ रहा है, को बिना सुने इकतरफा में न्याय के सुस्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित की गई है जिसकी जानकारी होने पर मिन अपीलान्ट ने नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जो नकल दिनाक 04.10.2023 को प्राप्त हुई, जिससे अपील हाजा बिना देरी के अंदर मियाद प्रस्तुत है। जेर दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है।

विवादित इंतकाल अंतर्गत आराजी खसरा नंबर 201, 202, 203, 204, 205 खाता संख्या 13 वाके ग्राम खिरतका बास तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है, जो कि अपीलांट के पिता स्वर्गीय श्री पांच्या राम पुत्र मुकन्दा की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी तथा वो जब तक जीवित रहे विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते रहे तथा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

उनके मरणोपंरात मिन अपीलान्ट उक्त आराजीयात पर अपने पिता स्व० श्री पांच्या राम के जीवनकाल से ही बदस्तूर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है।

उक्त आराजीयात बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ के यहां स्थाई निषेधाज्ञा बाबत मुकदमा चला था, जिसका निर्णय दिनांक 13.09.2022 को हुआ। दौराने दावा वादी पांच्याराम का स्वर्गवास हो गया। जिस कारण उक्त निर्णय डिक्री के खिलाफ मिन अपीलान्ट एवं मृतक पांच्याराम के अन्य वारिसान तरतीबी रेस्पोडेन्ट नहना देवी पत्नि स्व० पांच्याराम एवं रज्जो देवी पुत्री स्व० श्री पांच्याराम ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के यहां अपील पेश की हुई है, जो अपील संख्या 18/2023 बअनुवानी नहना देवी वगैरा बनाम, सियाराम वगैरा विचाराधीन है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 26.10.2023 की नियत है जिसमें रेस्पोडेन्टान दिनांक 27.07.2023 को उपस्थित भी हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में जब उक्त निर्णय डिक्री के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील विचाराधीन है तो तहसीलदार साहब टहला को इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट व स्व० पांच्याराम के अन्य वारिसों को नोटिस देकर तलब करना चाहिये था और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देना चाहिये था किन्तु ऐसा नहीं किया गया। बल्कि अपीलांट को बिना सुने ही इंतकाल दर्ज कर स्वीकृत कर दिया गया जो कि नहीं करना चाहिये था। इसलिए उक्त इंतकाल निरस्त किए जाने योग्य है।

अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार हैं तथा विवादित आराजी उन्हे अपने पिता व पति स्व० श्री पांच्याराम की विरासत से प्राप्त हुई है जिससे असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का कोई संबंध व सरोकार किसी प्रकार का नहीं है न कभी रहा है और न ही वो उक्त आराजी मुतनाजा के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हैं न कभी रहे हैं। आलोच्य इंतकाल विधि विरूद्ध तरीके से दर्ज व स्वीकृत किया गया है, जो कि निरस्त किए जाने योग्य है।

आराजी मुतनाजा पर आज भी अपीलांट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। असल रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 ने दिनांक 16.12.2009 को स्वयं के पक्ष में गलत प्रकार से डिक्री पारित करवाली थी तथा उसकी आड में आलोच्य इंतकाल दर्ज व मंजूर कराया गया है जो कि कतई गलत मौके व कब्जे के खिलाफ होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार साहब टहला द्वारा स्वीकृत इंतकाल संख्या संख्या 173 दिनांक 18.08.2023 वाके ग्राम खिरत का बास तहसील टहला को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि इन्तकाल अंतर्गत आराजी खसरा नंबर 201, 202, 203, 204, 205 खाता संख्या 13 वाके ग्राम खिरतका बास तहसील टहला, जिला अलवर में स्थित है। अपीलाण्ट उक्त आराजी के तन्हा काबिज खातेदार काश्तकार नहीं है। प्रार्थी का पिता पांच्याराम भी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार नहीं है, ना ही अपीलाण्ट के पिता का व ना ही अपीलाण्ट का उक्त आराजी पर कब्जा रहा। उक्त आराजीयात पर अप्रार्थीगण/रेस्पोडेण्ट नं. 1 व 2 के पिता राधेश्याम का कब्जा काश्तकार खातेदार के रूप में रहा है। उक्त आराजी पर अप्रार्थी/रेस्पो0 नं. रामजीलाल व रेस्पो0 नं. 2 सियाराम अपने पिता के जीवनकाल 55 वर्षो से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। आज भी मौके पर विवादित आराजीयत पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त नहीं होकर रेस्पो0 नं. 1 व 2 अर्थात् रामजीलाल व सियाराम का कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट के पिता पांच्याराम ने रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों से मिलकर विवादित आराजी ख.नं. 201, 202, 203, 204, 205 को गलत तरीके से खिलाफ मौका, कानून व रिकॉर्ड अपने नाम सेटिलमेंट के समय अपने नाम दर्ज करा लिया। रेस्पो. नं. 1 व 2 रामजीलाल व सियाराम को जानकारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

मिलने पर रेस्पो. सं. 1 व 2 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़, अलवर में उक्त विवादित आराजी के संबंध में एक दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइम्तनाई धारा 88 व 188 आर. टी. एक्ट के तहत इन्द्राज दुरुस्ती का पेश किया था, जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा रेस्पो. सं. 1 व 2 रामजीलाल व सियाराम द्वारा प्रस्तुत दावा दिनांक 16.12.2009 को डिक्री किया जाकर उक्त विवादित आराजी ख.नं. 201, 202, 203, 204, 205 के बाबत् इन्द्राज हाल वादी/अपीलाण्ट व प्रतिवादीगण/रेस्पो0 नं. 1 व 2 रामजीलाल व सियाराम बेअसर करार दिया जाकर उक्त विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार रेस्पो. सं. 1 व 2 रामजीलाल व सियाराम को घोषित किया गया कि वो विवादित आराजीयात उपरोक्त कार्य काश्त रामजीलाल व सियाराम में किसी प्रकार की दखलबाजी न करें, से पाबंद किया हुआ है। जिसकी अपील भी अपीलाण्ट के पिता ने की थी। वह भी अपीलाण्ट की अपील खारिज हो गई। अर्थात् रेस्पो. सं. 1 व 2 का दावा एस.डी.ओ द्वारा दिनांक 16.12.2009 को डिक्री की थी जो अब तक बहाल रही है।

अपीलाण्ट के पिता पांच्याराम ने एक दावा स्थाई निषेधाज्ञा का किया था, जो दिनांक 13.09.2022 को खारिज हो गया, जिसके मु.नं. 01/137/2010 है। जिसमें स्वामित्व एवं कब्जा प्रतिवादीगण/रेस्पोडेण्ट सं. 1 रामजीलाल व रेस्पोडेण्ट सं. 2 सियाराम का माना है और वर्तमान में भी रेस्पो. सं. 1 व 2 उक्त विवादित आराजीयात पर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा इन्ही का कब्जा है। अपीलाण्ट का किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। अपीलाण्ट का उक्त आराजी पर न तो कोई स्वामित्व है और न ही मौके पर कब्जा है। इसलिए अपीलाण्ट की अपील खारिज की जावे। उक्त निर्णय की अपील मियाद बाहर 5 महिने बाद पेश हुई, जबकि निर्णय 13.09.2022 को हुआ। उस दिन से अपीलाण्ट को जानकारी में थी। इन्तकाल 173 उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय दिनांक 16.12.2009 की पालना में दर्ज किया गया है, जिसकी कोई अपील विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त अपील नहना देवी बनाम सियाराम में वकालतनामा रेस्पोडेण्ट ने 14.09.2023 को पेश किया, जिसमें राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर का कोई स्थगन आदेश नहीं हुआ है। न्यायायल उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ की पालना में सही प्रकार से व कानून के हिसाब से सही प्रकार से इन्तकाल संख्या 173 रेस्पोडेण्ट सं. 1 रामजीलाल व रेस्पोडेण्ट सं. 2 सियाराम के पक्ष में चढ़ाया गया है व जमाबंदी में भी नोट लगाया गया है। और पहले से भी व वर्तमान में भी रेस्पो. सं. 1 व 2 का कब्जा काश्त है और कब्जा काश्त खातेदार है। न्यायालय एसडीओ राजगढ द्वारा दिनांक 16.12.2009 को डिक्री दोनों व अन्य पक्षों को सुनकर सही प्रकार से पारित की गई है, जिसमें रेस्पो. नं. 1 रामजीलाल व रेस्पो. नं. 2 सियाराम को इन्द्राज दुरूस्ती करके खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है और कब्जा काश्त भी रेस्पो. सं. 1 व 2 का मानकर अपीलाण्ट को पाबन्द किया गया। वर्तमान में भी उक्त आराजी पर मौके पर रेस्पो. सं. 1 व 2 का कब्जा काश्त है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस सुनी। बहस पूर्ण।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राज़स्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 201, 202, 203, 204, 205 खाता संख्या 13 वाके ग्राम खिरतका बास उनके पिता स्व. पांच्याराम की कब्जे काश्त की भूमि थी और वे इस पर लगातार काबिज हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

उनके अनुसार, आलोच्य इंतकाल दिनांक 18.08.2023 उन्हें बिना सुने और न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए इकतरफा स्वीकृत किया गया है। अपीलाण्ट का यह भी कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, राजगढ के निर्णय दिनांक 13.09.2022 (स्थाई निषेधाज्ञा का दावा) के विरूद्ध उनके द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी (RAA), अलवर के समक्ष अपील संख्या 18/2023 विचाराधीन है। अतः अपील लंबित रहते हुए तहसीलदार द्वारा इंतकाल स्वीकृत करना विधि विरुद्ध है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने अपीलाण्ट के तर्कों का विरोध करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट या उनके पिता का विवादित आराजी पर कभी कोई वैध कब्जा या काश्त नहीं रही है। विवादित आराजी पर रेस्पोडेण्ट नं. 1 रामजीलाल व 2 सियाराम अपने पिता के जीवनकाल से ही पिछले 55 वर्षों से काबिज रहकर काश्त करते आ रहे हैं। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाण्ट के पिता ने गलत तरीके से रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिया था, जिसकी जानकारी मिलने पर रेस्पोडेण्ट नं. 1 व 2 ने सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ में इस्तकरार हक व हुक्म इम्तनाई धारा 88 व 188 आर.टी. एक्ट का दावा पेश किया था। उक्त दावा दिनांक 16.12.2009 को रेस्पोडेण्ट्स के पक्ष में डिक्री किया गया और उन्हें खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए अपीलाण्ट पक्ष को पाबंद किया गया। इस डिक्री के विरुद्ध अपीलाण्ट के पिता की अपील भी खारिज हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, अपीलाण्ट के पिता द्वारा प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा का दावा भी न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2022 को खारिज किया जा चुका है, जिसमें भी रेस्पोडेण्ट्स का स्वामित्व एवं कब्जा माना गया है। आलोच्य इंतकाल संख्या 173 पूर्णतः उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय/डिक्री दिनांक 16.12.2009 की पालना में दर्ज किया गया है। राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष लंबित अपील में कोई भी स्थगन आदेश पारित नहीं हुआ है। अतः तहसीलदार का आदेश पूर्णतः न्यायसंगत है।

हमने दोनों पक्षों के तर्कों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा पूर्व न्यायालयों के निर्णयों के गहन अवलोकन किया। राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल दर्ज करना कोई स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह अधिकारों के अद्यतनीकरण की एक विधिक प्रक्रिया है। पत्रावली से यह स्पष्ट सिद्ध है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ द्वारा दिनांक 16.12.2009 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 188 के तहत पारित डिक्री के माध्यम से रेस्पोडेण्ट सं. 1 रामजीलाल व 2 सियाराम को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जा चुका है। तहसीलदार टहला द्वारा स्वीकृत इंतकाल संख्या 173 इसी सक्षम डिक्री की पालना है। अपीलाण्ट का यह तर्क कि राजस्व अपील प्राधिकारी (RAA), अलवर के समक्ष अपील विचाराधीन होने के कारण इंतकाल दर्ज नहीं किया जाना चाहिए था, विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। यह सुस्थापित विधिक सिद्धांत है कि अपील प्रस्तुत कर देने मात्र से निचली अदालत के आदेश या डिक्री का क्रियान्वयन स्वतः स्थगित नहीं हो जाता है। पत्रावली पर ऐसा कोई सक्षम स्थगन आदेश अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जो तहसीलदार को डिक्री की पालना करने से रोकता हो। अपीलाण्ट के पिता द्वारा प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा का दावा दिनांक 13.09.2022 को सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। जब एक बार उपखण्ड न्यायालय द्वारा धारा 88 व 188 के तहत रेस्पोडेण्ट्स के पक्ष में स्वत्व और कब्जे की घोषणा की जा चुकी है, तो उसी विषय–वस्तु पर अपीलाण्ट का यह दावा कि वे काबिज हैं, कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

उपरोक्त विधिक प्रावधानों के आलोक में यह स्पष्ट है कि तहसीलदार टहला ने उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ की डिक्री दिनांक 16.12.2009 की पालना में इंतकाल संख्या 173 स्वीकृत कर किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि, अधिकारिता का उल्लंघन या अनियमितता कारित नहीं की है। अपीलाण्ट अपने पक्ष में कोई भी ठोस विधिक आधार या स्थगन आदेश प्रस्तुत करने में पूर्णतः विफल रहा है। अपील अपीलाण्ट अस्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर, अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आधारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। तहसीलदार टहला, जिला अलवर द्वारा पारित आदेश/स्वीकृत इंतकाल संख्या 173 दिनांक 18.08.2023 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड वापस भिजवाया जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)